# मध्यप्रदेश शासन
## वित्त विभाग
## वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 1-5/2007/नियम/चार भोपाल दिनांक 23 जुलाई, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- मूलभूत नियम-22 डी के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ- विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09-04-2007.

*****

मूलभूत नियम-22 डी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि शासकीय सेवकों को लागू भर्ती/पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत जहां शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान में उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप है और पदोन्नति के बाद के पद के साथ विशेष वेतन की पात्रता नहीं है, ऐसे मामलों में, नियुक्ति अथवा पदोन्नति होने पर शासकीय सेवक को मूल नियम-22 डी (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की पात्रता है । यदि शासकीय कर्मचारी को लागू भर्ती/पदोन्नत नियम अनुसार पदोन्नति होती है, तो पदोन्नति पद को उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व का पद माना जाना चाहिये, भले ही निम्न पद एवं पदोन्नत पद का वेतनमान समरूप हो ।

2/ शासन के ध्यान में ऐसे प्रकरण आये हैं कि निम्न पद के वेतनमान में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों की पदोन्नति होने पर उच्च पद का वेतनमान समान होने के कारण उन्हें मूल नियम 22-डी (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिल रहा है । अतः शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निम्न पद के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवक की समरूप वेतनमान में उच्च पद पर पदोन्नति होने पर उसे दो काल्पनिक (नोशनल) वेतनवृद्धियाँ (अधिकतम रूपये 250/-) का लाभ व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाये । व्यक्तिगत वेतन के रूप में दी गयी राशि को संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति अथवा वेतनमान पुनरीक्षित होने पर समायोजित किया जायेगा तथा इसे वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

**मध्य प्रदेश शासन**
**वित्त विभाग**
**मंत्रालय**

क्रमांक एफ 1-5/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक ०१.५. 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषयः- मूल नियम 22-डी के संबंध में स्पष्टीकरण ।

=0=

मूल नियम 22-डी (1) के अनुसार जहां कोई शासकीय सेवक मौलिक, अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप से किसी पद को धारण करते हुए किसी अन्य पद पर मौलिक, अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप से पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है, जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व पुराने पद की अपेक्षा अधिक महत्व के हैं, तो उच्च पद के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन निचले पद में प्राप्त वेतन में निचले पद की एक वेतन वृद्वि के बराबर राशि और जोडकर काल्पनिक वेतन ज्ञात किया जाएगा तथा उसके उच्च पद के वेतनमान में उसके ठीक आगामी प्रकम पर निर्धारित किया जाएगा। मूल नियम 22-डी (1) के चतुर्थ परन्तुक के अनुसार इस नियम के उपबन्ध वहां लागू नहीं होंगे, जहां शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान के उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता हैं, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप हैं, परन्तु केवल विशेष वेतन से जुड़ा होने के कारण अलग मालूम पडता है। ऐसे प्रकरणों में पदोन्नति पर शासकीय सेवक निम्न पद के वेतन के अतिरिक्त केवल विशेष वेतन ही प्राप्त करेगा। इस परन्तुक के अनुसार मूल नियम 22-डी (1) के अंतर्गत उन प्रकरणों में लाभ नहीं दिया जाना है, जिनमे निम्न पद एवं पदोन्नत पद का वेतनमान समरूप है और उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व वाले पदोन्नति वाले पद के साथ विशेष वेतन जुड़ा है ।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक को लागू भर्ती/पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत जहां शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान में उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप हैं और पदोन्नति के बाद के पद के साथ विशेष वेतन की पात्रता नही है, तो ऐसे मामलों में, नियुक्ति अथवा पदोन्नति होने पर शासकीय सेवक को मूल नियम 22-डी (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की पात्रता है। यदि कर्मचारी को लागू भर्ती/पदोन्नत नियमों के अनुसार पदोन्नति होती है, तो पदोन्नति वाले पद को उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व का पद माना जाना चाहिए, भले ही निम्न पद एवं पदोन्नत पद का वेतनमान समरूप हो ।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

**( ए.पी.श्रीवास्तव )**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.**